

किस्म.....

# लय उपखण्ड अधिकारी हिण्ड...

## फर्द अहकाम

6<sup>11</sup>/<sub>23</sub>

बकुलाय उपरिषत/पीठासीन अधिकारी ..... को पेश हों।  
गतानुसार दिनांक 23-2-24

~~.....~~  
~~.....~~

27<sup>2</sup>/<sub>24</sub>

बकुलाय उपरिषत/पीठासीन अधिकारी ..... को पेश हों।  
गतानुसार दिनांक 11-11-24

पत्तावली देखा हुआ। वादी व वादीवकील  
उपस्थित। अदालत में बार-बार वादी व  
वादीवकील आवाज फिलवाली। अदालत  
दिलवाने के बावजूद वादी व वादीवकील  
उपस्थित। जिससे जांच चल रही है कि वादी  
व वादीवकील अदालत आगे चलाने में सक्षम  
हैं। अतः मुद्दा 194/09 फौजदारी  
मुद्दा व नाम समवाय अदालत छोड़ने व  
अदालत देरकी में रखा जा सकता है।  
पत्तावली के फौजदारी नुमांदा देकर नवंबर में काम  
होना।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डवान सिटी (कौली)

मु० नम्बर..... किल्ला.....

उत्तमान

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोल

## फर्द अहकाम

दिनांक

6<sup>11</sup> 3

न्यायालय उपरिशास/पीठकारी अधिकारी  
पेशा है। गतानुसार किल्ला..... को पेश हों।

27-2-24

~~.....  
.....~~

27<sup>2</sup> 24

न्यायालय उपरिशास/पीठकारी अधिकारी  
पेशा है। गतानुसार किल्ला..... को पेश हों।

27-2-24

4<sup>4</sup> 24

पत्रावली देखा हुआ। वादी व वादीवकील  
उपस्थित। प्रकरण में बार-बार वादी व  
वादीवकील आपाप पर फिलजारी। अलाप  
दिलवाने के कारण वादी व वादीवकील  
उपस्थित। जिससे जाहिर होता है कि वादी  
व वादीवकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि  
रही है। अतः सुनवा 194/09 द्वारा  
सुनिश्च वकाम आमदाम अदम्य दायरी व  
अदम्य देरकी में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।  
पत्रावली देसल सुमार देकर नवंबर से कम  
हो।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डोल सिटी (कौली)